संख्याः1989/33–3–2019–10Gi/2015

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/राजस्व विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/शिक्षा विभाग/समाज कल्याण विभाग/बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/कृषि विभाग/दिव्यांग–जन सशक्तिकरण विभाग/दुग्ध विकास विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग/वन विभाग/लघु सिंचाई विभाग/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एवं परती भूमि विकास विभाग, उ०प्र०।
2. मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उ०प्र०।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

पंचायती राज अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांक 16 अगस्त, 2019**

विषयः– दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2019 के मध्य सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2020–21 (जी.पी.डी.पी.) तैयार किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0–D.O. No. M-11015/159/2019-CB दिनांक 16 जुलाई, 2019 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2020–21 की ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) निर्माण हेतु दिनांक 02 अक्तूबर से 31 दिसम्बर, 2019 के मध्य जन योजना अभियान–'सबकी योजना सबका विकास' का शुभारंभ किये जाने के निर्देश निर्गत किए गए है।

गत् वर्ष ग्राम पंचायत विकास योजना की समस्त प्रक्रिया को सहभागितापूर्ण बनाने और अभिसरण को बढ़ावा देने हेतु ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं का क्षमता संवर्द्धन करते हुए राज्य एवं स्थानीय शासन के संयुक्त प्रयास से अभियान का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया गया था एवं ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं एवं अभियान में सम्मिलित अन्य हितभागी दृश्य एवं संतोषप्रद प्रदर्शन के कारण ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की प्रक्रिया को सहभागी एवं पारदर्शी बनाने में मदद मिली है। अतः प्राप्त परिणामों के क्रम में पुनः दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2019 के मध्य वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना निर्माण की प्रक्रिया को अभियान के रूप में चलाये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के क्रम में पुनः दिनांक 02 अक्तूबर से 31 दिसम्बर, 2019 के मध्य वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना/जी.पी.डी.पी. तैयार करने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार निम्नलिखित एजेण्डा बिन्दुओं का कार्यान्वयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए–

क्र.सं.	**एजेण्डा**	**समयावधि**
1.	ग्राम सभाओं के बैठक की विस्तृत समय–सारिणी तैयार करना।	**दिनांक 30 अगस्त, 2019 तक**
2.	सभी ग्राम पंचायतों में 'जन सूचना बोर्ड' (Public Information Board) का लगाया जाना।	**दिनांक 30 अगस्त, 2019 तक**

Dell/d/kranti/CO

3.	ग्राम पंचायत विकास योजना (वर्ष 2020–21) हेतु प्रचार–प्रसार एवं जन–जागरूकता अभियान के माध्यम से वातावरण निर्माण।	**दिनांक 01 से 30 सितम्बर, 2019 तक**
4.	प्रत्येक ग्राम पंचायत में फेसिलिटेटर की नियुक्ति।	**दिनांक 05 सितम्बर, 2019 तक**
5.	ग्राम सभा की बैठक के आयोजन एवं उसमें अधिकारियों/कर्मियों की उपस्थिति की समय–सारिणी निर्गत किया जाना।	**दिनांक 05 सितम्बर, 2019 तक**
6.	ग्राम पंचायतों का ग्राम सभा आयोजन का तिथिवार कैलेण्डर तैयार कर जी.पी.डी.पी. पोर्टल पर अपलोड किया जाना।	**दिनांक 05 सितम्बर, 2019 तक**
7.	ग्राम पंचायत पर नियुक्त फेसिलिटेटर का एक दिवसीय प्रशिक्षण।	**दिनांक 15 से 30 सितम्बर, 2019 तक**
8.	वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की बैठक की दो बैठकों का अनिवार्य रूप से आयोजन। **8.1** ग्राम सभा की प्रथम बैठक में गत् वर्ष ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी 'मिशन अंत्योदय' की सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण, वित्तीय एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों का विवरण दिया जाना एवं आवश्यक आवश्यकताओं का निर्धारण/चिन्हीकरण। **8.2** ग्राम पंचायत में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के सापेक्ष अनिवार्य आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए ड्राफ्ट कार्ययोजना तैयार करना एवं उसका ग्राम सभा की द्वितीय बैठक में अनुमोदन कराया जाना।	**दिनांक 02 अक्तूबर से 31 दिसम्बर, 2019 तक**

- उपरोक्त निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण को एक अभियान के रूप में चलाते हुए ग्राम सभा की बैठक से पूर्व, ग्राम सभा की अवधि में एवं ग्राम सभा की बैठक के पश्चात् की जाने वाली गतिविधियों को संलग्नक–1 पर उपलब्ध सूची के अनुसार कराया जाये।
- गतिविधियों के ससमय क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना अन्तर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति एवं विकास खण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति उत्तरदायी होगी।
- प्रत्येक विभाग द्वारा गत् वर्ष कार्यक्रम अवधि में कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु अपने विभाग से नामित किये गये नोडल अधिकारी जिसका पंजीकरण www.gpdp.nic.in पर भारत सरकार द्वारा किया गया है, अपने विभाग से संबंधित गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होंगे।
- ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना के तैयार किए जाने की अवधि में रिर्पोटिंग एवं ग्राम सभा के आयोजन हेतु गत् वर्ष की भांति शासनादेश संख्या–162जी–आई/33–3–2018–10 जी.आई./2015 दिनांक 10 सितम्बर, 2018 में वर्णित

ग्राम पंचायत 14वें वित्त आयोग के प्रशासनिक एवं तकनीकी मद से अधिकतम धनराशि रू0 2500/– तक व्यय कर सकती है। उक्त कार्य हेतु सीमित अवधि के लिए मानव संसाधन की सेवाएं ली जा सकती है, जो कि ग्राम सभा के आयोजन, रिर्पोटिंग एवं योजना निर्माण में ग्राम पंचायत की सहायता करेंगे एवं www.gpdp.nic.in पर सूचनाएं ससमय अपलोड करेंगे। उचित व्यक्ति का चयन–ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों/स्वयं सहायता समूह महिलाओं/ग्राम रोजगार सेवक अथवा अन्य सक्रिय स्वयंसेवी व्यक्ति में से किया जा सकता है, चूंकि इस प्रक्रिया में जन–जागरूकता, ग्राम सभाओं का आयोजन एवं रिपोर्टिंग का कार्य ऑनलाइन किया जाना है। अतः इस प्रक्रिया में चयनित किये गये व्यक्ति शिक्षित, कम्प्यूटर एवं स्मार्ट फोन को संचालित करने में सक्षम हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाए।

- इस प्रकार से ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप ही वर्क आई.डी. विकसित करते हुए ही कार्य कराए जाए, बिना वर्क आई.डी. निर्गत कराए गए कार्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगें।
- ग्राम पंचायतों द्वारा यह अवश्य ध्यान रखा जाए कि आगामी वित्तीय वर्ष (2020–21)में प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि जिसके सापेक्ष वार्षिक कार्य योजना तैयार की जानी है, की कुल अनुमानित लागत पूर्ववर्ती वर्ष की प्राप्त धनराशि से मात्र 10 प्रतिशत ही अधिक रखी जाए।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार गत् वर्ष की भांति ही ग्राम पंचायत विकास योजना को जन अभियान बनाते हुए दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2019 के मध्य जनपदों में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कराए जाने की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–यथोक्त

भवदीय

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेष शासन।
3. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेषक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

Dell/d/kranti/GO

संलग्नक–1

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण, वर्ष 2020–21 के नियोजन हेतु उपगतिविधियों की सूची

क्र. सं.	चरण	गतिविधियॉ	उप–गतिवधियॉ	उत्तरदायी विभाग/ संस्था
1	ग्राम सभा से पूर्व जनपद स्तर की तैयारी।	जनपद स्तर पर अभियान संचालन हेतु रणनीति निर्धारण एवं प्रचार।	1. जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजना 2020–21 के निर्माण एवं गतिविधियों के संचालन हेतु जिला कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन। 2. ग्राम सभा के आयोजन का रोस्टर एवं उसमें अधिकारी/ कर्मियों की उपस्थिति की समय–सारिणी निर्गत किया जाना। 3. ग्राम पंचायत स्तर पर योजना तैयार किए जाने हेतु सहयोगी/ मानव संसाधन का निर्धारण एवं अभिमुखीकरण।	जिला पंचायत राज अधिकारी / जिला कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति।
2	ग्राम सभा आयोजन से पूर्व की तैयारी।	ग्राम पंचायत विकास योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं ग्राम सभा की बैठक का एजेण्डा निर्गत किया जाना	1. ग्राम पंचायत की बैठक, दीवार–लेखन, बोर्ड/ सूचना –पट्टिका की स्थापना, रैली, वार्ड–वार बैठक, माइकिंग, नुक्कड़ नाटक अथवा अन्य उपायों के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रचार–प्रसार। 2. निर्धारित एजेण्डा प्रारूप (संलग्नक–2) पर ग्राम सभा की बैठक के आयोजन की पूर्व सूचना दिया जाना।	पंचायती राज विभाग ग्राम पंचायत/ पंचायती राज विभाग।
3		मिशन अंत्योदय के एप्लीकेशन पर ग्राम पंचायत का सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण एवं डाटा अपलोड किया जाना।	1. सर्वेक्षण हेतु फैसीलिटेटर का निर्धारण (एस.एस.जी./ रोजगार सेवक अथवा ग्राम विकास विभाग द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति) एवं उनका प्रशिक्षण। 2. सर्वेक्षण कराया जाना एवं डाटा को अंत्योदय एप पर अपलोड किया जाना। 3. सर्वेक्षण की रिपोर्ट को ग्राम पंचायत को 02 अक्टूबर, 2019 तक उपलब्ध कराया जाना।	ग्राम्य विकास विभाग।
4	ग्राम सभा की अवधि में किए जाने वाले कार्य	प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की दो बैठकों के आयोजन।	1. एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 15 दिवस के अन्तराल पर ग्राम सभा की दो बैठकों का आयोजन। ग्राम सभा की बैठक आयोजन हेतु आवश्यक दस्तावेजो की सूची संलग्नक–3 पर उपलब्ध है।	ग्राम पंचायत
5			2. ग्राम सभा की बैठकों में विभिन्न विभागों के फ्रंट–लाइन कर्मियों/ पंचायत स्तरीय कर्मी की प्रतिभागिता सुनिश्चित् करना एवं उनके माध्यम से विभागीय योजना की जानकारी ग्राम सभा को देना।	समस्त विभाग द्वारा।

6			3. ग्राम सभा का कार्यवृत्त लिखा जाना एवं बैठक की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाना।	ग्राम पंचायत
7			4. ग्राम पंचायत विकास योजना का अंतिम दस्तावेज (जी.पी.डी.पी. के दस्तावेज को तैयार करने हेतु आवश्यक विवरण की अनुक्रमणिका–संलग्नक–4) तैयार करना एवं सभी उपस्थिति दर्ज करना।	
8			5. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट www.gpdp.nic.in पर रिपोर्टिंग का कार्य।	
9	ग्राम सभा के पश्चात् के कार्य	ग्राम पंचायत विकास योजना प्रकिया का दस्तावेजीकरण एवं रिपोर्टिंग।	1. ग्राम पंचायत विकास योजना का अंतिम दस्तावेज का प्रिंट आउट लेकर एक प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में सुनिश्चित् रखना।	ग्राम पंचायत
10				
11			2. ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थल पर जी.पी.डी.पी. एवं अन्य योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु सूचना–पट्टिका/ बोर्ड लगाया जाना। (सुलभ संदर्भ हेतु प्रारूप संलग्नक–5)	
12			3. ग्राम पंचायत विकास योजना में लिए गए कार्यो एवं गत वर्षो में कराए गए कार्यो को बोर्ड/ फ्लैक्स/ वॉल–राइटिंग के माध्यम से सामुदायिक स्थल पर अंकित किया जाएगा।	

संलग्नक–2

जी.पी.डी.पी. के लिए विशेष ग्राम सभा के आयोजन का एजेण्डा

"हमारी योजना हमारा विकास"

बैठक की तिथि ....

बैठक का स्थान......................

ग्राम पंचायत का नाम.......................... **एल.जी.डी. कोड**..................

विकास खण्ड का नाम................ **जिला**...................... **राज्य**..............................

- **एजेंडा** :वार्षिक कार्य योजना (वित्तीय वर्ष 2019–20) तैयार किया जाना।
- मीटिंग में सदस्यों, प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति।
- एजेण्डा बिन्दु।

1. ग्राम पंचायतों के सरपंच/प्रधान ग्राम सभा की बैठक का उद्देश्य बताएगे।
2. ग्राम पंचायत सचिव जी.पी.डी.पी. के उद्देश्य एवं परिकल्पना पर चर्चा करेंगें।
3. सुविधादाताओं द्वारा मिशन अंत्योदय के अंतर्गत एकत्रित रैंकिग पैरामीटर और डाटा की प्रस्तुति और सत्यापन किया जाना।
4. ग्राम सभा के समक्ष स्वयं सहायता समूहों/ग्राम आधारित संस्थाओं द्वारा गरीबी से संबंधित मुद्दों और गरीबी उन्मूलन की कार्य योजना संबंधित प्रस्तुतीकरण करना।
5. मिशन अंत्योदय में सर्वे के दौरान प्राप्त कमियों पर ग्राम सभा में चर्चा करना तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तीन वर्गों जैसे अतिआवश्यक, आवश्यक, वांछित में बांटा जाना।
6. संबंधित विभागों के कर्मचारियों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243G की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों में से ग्राम पंचायत में समायोजित विषयों पर प्रस्तुतीकरण करना।

संविधान के अनुच्छेद 243G के अनुसार 29 विषयों की सूची।

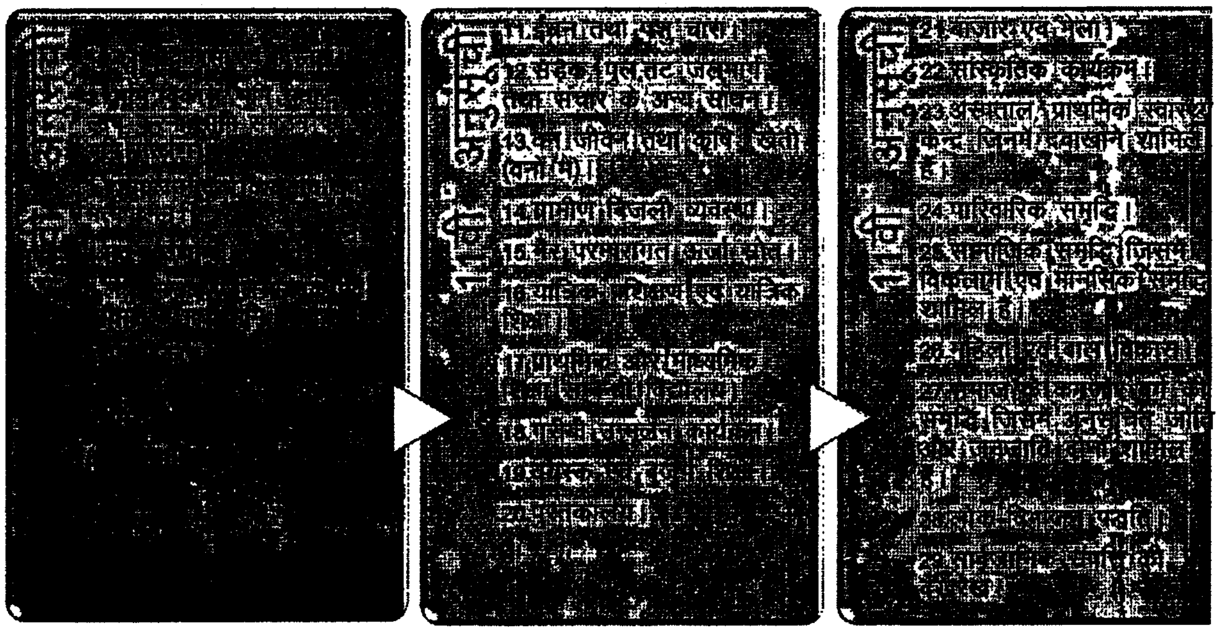

7. वर्तमान वर्ष की गतिविधियों और फंड उपयोग की समीक्षा।
8. वित्तीय वर्ष 2019–20 में ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा।
9. ग्राम सभा में कमियों (GAP) के कारणों पर चर्चा कर सकती है और कमियों को दूर करने हेतु गतिविधियों का प्रस्ताव दे सकती है।
10. ग्राम पंचायत में पायी गयी कमियों के आधार पर ग्राम सभा गतिविधियों की प्राथमिकता तय करते हुए उन्हें जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित कर सकती है जैसे की संपत्ति का निर्माण एवं रख–रखाव, कम लागत/बिना लागत (उदाहरण–समुदाय को 100 प्रतिशत टीकाकरण के लिए प्रेरित करना, स्कूलों में 100 प्रतिशत नामांकन, ओ.डी.एफ./ओ.डी.एफ. प्लस, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक विषयों पर जागरूकता आदि)।

11. पंचायत की कमियों का विश्लेषण एवं प्राथमिकता निर्धारित करने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित करने वाली गतिविधियों को अंतिम रूप देना।

12. बुनियादी नागरिक सेवायें प्रदान करने संबंधी गतिविधियाँ जैसे कि जल आपूर्ति, स्वच्छता प्रबंधन, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा, जल निकासी, सामुदायिक संपत्तियों का रख रखाव, सड़कों का रख–रखाव, फुटपाथ, सड़क प्रकाश व्यवस्था, अन्त्येष्टि स्थल और शमशान भूमि की योजना 14वें वित की धनराशि से की जाएगी।

13. ग्राम सभा विकास संबंधी गतिविधियों की प्राथमिकता सूची पर एक प्रस्ताव पारित करेगी। यह प्रस्ताव ग्राम सभा के सामने पढ़ा जायेगा और तद्नुसार दस्तावेजीकरण किया जायेगा।

14. People's Plan Campaign Portal पर ग्राम सभा की जियोटैग फोटो अपलोड किये जायेगे।

15. सार्वजनिक सूचना बोर्ड के फोटो भी जियो टैग किये जायेगें।

जी.पी.डी.पी. के लिए विशेष ग्राम सभा के दौरान ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति विवरण का प्रारूप

"हमारी योजना हमारा विकास"

विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा किये जाने वाले प्रस्तुतीकरण हेतु चर्चा के बिन्दु:—

1. विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने विभाग की योजना का संक्षिप्त परिचय देते हुए योजना अन्तर्गत लाभर्थियों के चयन की प्रक्रिया,पात्रता एवं लाभ के विषय में विस्तार से बताया जाएगा, साथ ही योजना में ग्राम पंचायत की भूमिका एवं जी.पी.डी.पी. में समावेश करनेकी आवश्यकता को भी प्रस्तुत करेंगें।

क्र. सं.	योजना का नाम	योजनान्तर्गत अनुमोदित गतिविधियॉ	लाभार्थी चयन हेतु पात्रता के मापदंड	योजना के लाभ/ मिलने वाले अधिकार

2. वर्ष 2018—19 मेंली गयी गतिविधियों एवं प्रगति समय—सीमा—

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	लाभार्थियों की सूची	गतिविधिवार प्रगति						
			प्रगति			समय—सीमा		व्यय धनराशि का विवरण	
			गतिविधि पूर्ण	प्रक्रियाधीन	अभी प्रारम्भ नहीं	निर्धारित समय—सीमा	वास्तविक समय—सीमा	प्राविधानित	व्यय

3. वर्ष 2020—21 में ली गयी गतिविधियों का विवरण—

क्र.सं.	गत् वर्ष की प्रस्तावित गतिविधियॉ	नयी प्रस्तावित गतिविधियॉ	प्रस्तावित कार्यवाही योजना

4. प्रारूप की एक प्रति विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम पंचायत को ग्रामसभा की बैठक के दौरान सौंप दी जायेगी।

Dell/d/kranti/GO

संलग्नक–3

ग्राम सभा की बैठक आयोजन हेतु आवश्यक सम्भावित दस्तावेजो की सूची

1. ग्राम सभा बैठक आयोजन का एजेण्डा।
2. ग्राम पंचायत में जन्म एवं मृत्यु का विवरण।
3. ग्राम पंचायत का पारिस्थितिकी विश्लेषण/ ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त सामाजिक– आर्थिक विश्लेषण की रिपोर्ट।
4. वित्तीय वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना/ जी.पी.डी.पी. का विवरण।
5. ग्राम पंचायत द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि एवं कराए गए कार्यो का विवरण।
6. ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों (रिसोर्स एनवेलप) का विवरण (मानव संसाधन/ग्राम निधि/ स्वयं की आय/स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त धनराशि/सी.एस. आर./विधायक निधि/सांसद निधि अथवा अन्य किसी योजना से प्राप्त धनराशि)।
7. ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो के सम्बंध में शासन द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निर्देशों की प्रति।

Del/d/kranti/CO

संलग्नक–4

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने का प्रारूप/ दस्तावेज में सम्मिलित होने वाले विभिन्न आवश्यक विषय

1. अनुक्रमणिका
2. प्रस्तावना (ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता एवं ग्राम पंचायत द्वारा किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण)
3. ग्राम पंचायत का संक्षिप्त परिचय (ग्राम पंचायत की पृष्ठभूमि, ग्राम पंचायत की प्रोफाइल, संरचनात्मक एवं भौतिक उपलब्धियों का विवरण–(प्रोफाइल का प्रारूप विभागीय वेबसाइट के शासनादेश सं0 2618/सी.एस./33–3–2015, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 में उपलब्ध है।) ग्राम पंचायत का विजन स्टेटमेंट (ग्राम पंचायत की सोच एवं सामाज के प्रति दृष्टिकोण)
4. ग्राम पंचायत का पारिस्थितिकी विश्लेषण/ ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त सामाजिक– आर्थिक विश्लेषण की रिपोर्ट।
5. बैठक का कार्यवृत्त एवं प्रतिभागियों की सूची।
6. ग्राम पंचायत विकास योजना/ वार्षिक कार्ययोजना में प्राथमिकता में लिए गए कार्यो का विवरण (कार्यो के विवरण में कार्यो में आने वाला व्यय, आय का स्रोत, निर्मित परिसम्पत्ति का विवरण, कम–लागत/ बिना–लागत के कार्यो का विवरण, क्षेत्रवार विवरण भी आवश्यक रूप से सम्मिलित रहेगा।(प्रारूप सम्बंधी विवरण विभागीय वेबसाइट के शासनादेश सं0 2618/सी.एस./33–3–2015, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 में उपलब्ध है।)
7. कार्यवार विवरण के साथ आपेक्षित परिणामों को भी ग्राम पंचायत विकास योजना का भाग बनाया जाना चाहिए।
8. सहभागी नियोजन हेतु किए गए मानचित्रीकरण अथवा अन्य पी.आर.ए. गतिविधियों की प्रति।
9. ग्राम सभा की बैठक की फोटोग्राफ की प्रतियाँ।

संलग्नक–5

जनपद द्वारा नामित स्वयं सहायता समूह/टास्क फोर्स/अन्य सदस्य का रिपोटिंग प्रारूप

क्र.सं.	कार्य क्षेत्र	टिप्पणी
1	ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या	
2	ग्राम सभा में उपस्थित अनुसूचित जाति सदस्यों की संख्या	
3	ग्राम सभा में उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या	
4	ग्राम सभा में उपस्थित स्वयं सहायता समूह सदस्यों की संख्या	
5	ग्राम सभा में उपस्थित महिलायों की संख्या	
6	विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग एवं प्रस्तुतीकरण किया जाना	
6.1	पंचायती राज विभाग	
6.2	ग्राम्य विकास विभाग	
6.3	कृषि विभाग	
6.4	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	
6.5	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	
6.6	ऊर्जा विभाग	
6.7	रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग	
6.8	पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन विभाग (अन्य)	
7	मिशन अन्तोदय अन्तर्गत एकत्रित डेटा की प्रस्तुति एवं पुष्टि	
8	स्वयं सहायता समूह द्वारा गरीबी संबंधित मुद्दों एवं गरीबी उन्मूलन की योजना का प्रस्तुतीकरण	
9	जी0पी0डी0पी0 पर विचार–विमर्श	
9.1	वर्तमान वर्ष में हुई गतिविधियां एवं बजट के उपयोग की समीक्षा	
9.2	ग्राम पंचायत को वर्ष 2020–2021 में सम्भवतः उपलब्ध होने वाले संसाधनों पर चर्चा	
8.3	मिशन अन्त्योदय सर्वेक्षण के दौरान पायी गयी कमियों एवं उन्हें कम करने हेतु प्रस्तावित हस्तक्षेपों पर चर्चा	
8.4	जी0पी0डी0पी0 पर पारित संकल्प का ग्राम सभा द्वारा दर्ज किया जाना	
9	प्रगति में ग्राम सभा की फोटो को जियोटैग करना	
10	सार्वजनिक सूचना बोर्ड की फोटो को जियोटैग करना	

नोटः– संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति/अनुपस्थिति टिप्पणी में दर्ज की जायेगी।